ISSN:3048-6505 (Online)
Shodh Samarth- Research Journal of Commerce, Management & Economics
Vol.2(1), January 2025, pp. 149-159

महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका : उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के संदर्भ में

तनु मित्तल
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
नई टिहरी,उत्तराखंड

स्मिता बडोला
जन्तुविज्ञान विभाग
श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिसर
ऋषिकेश उत्तराखंड

शोध सारांश

शोध का उद्देश्य पौड़ी गढ़वाल जिले में पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की भूमिका का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने किस प्रकार स्थानीय विकास को प्रभावित किया है और किस प्रकार की चुनौतियाँ और सफलताएँ सामने आई हैं। इसमें महिला प्रधानों और पंचायत सदस्यों के अनुभवों, उनके द्वारा सामना की गई समस्याओं और उनकी सफलताओं का गहन विश्लेषण किया है। शोध के दौरान गुणात्मक और मात्रात्मक शोध विधियों का प्रयोग किया गया, जिसमें साक्षात्कार, प्रश्नावली, और सरकारी रिपोर्टों का विश्लेषण शामिल है। शोध के लिए जिलों की विभिन्न पंचायतों से महिला प्रतिनिधियों का चयन किया गया और उनसे उनके अनुभवों, चुनौतियों और पंचायत में उनके योगदान पर चर्चा की गई। इस शोध पत्र के माध्यम से यह विश्लेषण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से पंचायती राज संस्थाएँ पौड़ी गढ़वाल जिले की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं और भविष्य में इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

मुख्य शब्द :– उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल, पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, निर्णय निर्माण।

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण भारत के विकास और सामाजिक सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत महिलाओं को समाज में उनके अधिकारों के प्रति जागरूक

किया जाता है, जिससे वे व्यक्तिगत, सामाजिक, और राजनीतिक निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज में समान भागीदारी सुनिश्चित करना है।

पंचायती राज संस्थाएं भारत में ग्रामीण स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जिनका गठन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन और विकास कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किया गया है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के बाद, महिलाओं के लिए पंचायतों में 33प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसे कई राज्यों ने 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। उत्तराखंड राज्य भी इस बदलाव से अछूता नहीं रहा और पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। यह संशोधन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, क्योंकि इससे महिलाएं न केवल स्थानीय प्रशासन में हिस्सा लेने लगीं, बल्कि वे सामुदायिक विकास और निर्णय–निर्माण की प्रक्रियाओं में भी सक्रिय भूमिका निभाने लगीं।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण शासन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है यह कदम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जाती है, क्योंकि इसने उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान किया है।

उत्तराखंड, विशेषकर पौड़ी–गढ़वाल जिला जो हिमालय की गोद में बसा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र है, में महिला सशक्तिकरण की परंपरा और चुनौतियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं। राज्य में पंचायतों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी न केवल उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारने में सहायक साबित हुई है, बल्कि यह ग्रामीण विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। यहाँ की महिलाएँ न केवल अपने घरों और खेतों का प्रबंधन करती हैं, बल्कि पंचायतों में नेतृत्व की भूमिकाएँ निभाकर सामुदायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं।

पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पहाड़ी जिला है, जो गढ़वाल मंडल में स्थित है। यह जिला हिमालय की तलहटी में फैला हुआ है और इसकी ऊँचाई समुद्र तल से लगभग 500 से 3000 मीटर तक है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्र बनाती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी हैं, जो इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का मुख्य स्रोत हैं। जिले में वन क्षेत्र भी बड़े पैमाने पर हैं, जो जल, लकड़ी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के स्रोत हैं।

पौड़ी गढ़वाल की ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, कृषि भूमि सीमित और अविकसित है। यहाँ के लोग मुख्यतः छोटे खेतों पर जैविक खेती करते हैं और उनके पास सीमित संसाधन होते हैं। इसके साथ ही जलवायु और भौगोलिक कठिनाइयों के कारण खेती का पूरा समय साल भर नहीं होता, जिससे अन्य प्रकार के रोजगार और संसाधनों पर भी निर्भरता बढ़ जाती है।

पौड़ी गढ़वाल की सामाजिक संरचना परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक है, जहाँ परिवार और समुदाय के निर्णयों में पुरुषों की अधिक भूमिका रही है। हालाँकि, महिलाओं का योगदान घरेलू, आर्थिक, और सामुदायिक कार्यों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ की महिलाएँ कृषि कार्यों, पशुपालन, और वनों पर आधारित संसाधनों के प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण जीवन में महिलाओं की भूमिका पारिवारिक गतिविधियों से लेकर सामुदायिक विकास तक विस्तृत होती है।

शोध के उद्देश्य

- महिला सशक्तिकरण की स्थिति का मूल्यांकन
- पंचायती राज की भूमिका का विश्लेषण
- चुनौतियों की पहचान और समाधान

इस शोध में 'गुणात्मक' और 'मात्रात्मक' दोनों शोध विधियों का उपयोग किया गया । गुणात्मक शोध से महिला सशक्तिकरण की गहन समझ प्राप्त की जाएगी, जबकि मात्रात्मक शोध पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी और उसके प्रभाव के आंकड़ों को मापने के लिए किया गया ।

वर्तमान शोध में यह भी विश्लेषण किया गया कि कैसे पंचायती राज संस्थाएँ महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक हो रही हैं और किस प्रकार की नीतियों और पहलों की आवश्यकता है ताकि महिलाओं का नेतृत्व और भी प्रभावशाली हो सके। इस अध्ययन के परिणाम स्थानीय प्रशासन और विकास योजनाओं के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे और भविष्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में की जाने वाली पहलों को सुधारने में सहायक होंगे।

अध्ययन क्षेत्र

पौड़ी गढ़वाल जिले में 15 विकासखंड और 08 तहसील है। अध्ययन हेतु कोटद्वार तहसील का चयन किया गया है इसमें कोटद्वार तहसील में आने वाले गांव की 50 महिलाओं से तथ्यों को संकलित किया गया है।

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार तहसील के ग्राम रामडी पुलिंदा, उत्तिरछा, और बल्ली की ग्राम प्रधान शीतल नेगी, दीपा रावत, सुशीला देवी, भागेश्वरी देवी, कल्पना देवी और मधु देवी सहित अन्य महिलाओं से अनुसूची के माध्यम से तथ्यों को संकलित किया गया है

डेटा संग्रह की विधियाँ

प्राथमिक डेटाः साक्षात्कार पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों, महिला प्रधानों और अन्य महिलाओं के साथ साक्षात्कार लिया गया, ताकि उनकी वास्तविक चुनौतियों, अनुभवों और सशक्तिकरण की स्थिति को समझा जा सके।

फोकस ग्रुप डिस्कशन ग्रामीण महिलाओं के बीच चर्चा आयोजित की गया, ताकि महिलाओं की सामूहिक दृष्टिकोण और अनुभवों को समझा जा सके।

द्वितीयक डेटाः सरकारी रिपोर्ट्स और दस्तावेज, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी पर उपलब्ध सरकारी रिपोर्ट्स और नीति दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अकादमिक साहित्य महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज पर पूर्व प्रकाशित शोध पत्र, किताबें और लेखों का विश्लेषण किया गया ।

विषयवस्तु विश्लेषणः साक्षात्कार और फोकस ग्रुप डिस्कशन से प्राप्त गुणात्मक डेटा का विषयों के आधार पर विश्लेषण किया गया । उदाहरण के लिए, महिलाओं की चुनौतियों, उनके सशक्तिकरण के अनुभवों, और पंचायतों में उनकी भूमिका का विश्लेषण किया गया। महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका पर शोध करने के लिए कई अध्ययनों और शैक्षिक साहित्य का अवलोकन किया गया। यह अवलोकन विभिन्न विद्वानों, सरकारी रिपोर्ट्स, और अन्य स्रोतों पर आधारित है, जिन्होंने पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका और उनके सशक्तिकरण पर गहन अध्ययन किया है।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा

सेन, अमर्त्य का तर्क है कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल आर्थिक स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि उनके शिक्षा स्तर, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक भागीदारी से भी संबंधित है। (1) एस. वाल्टर की पुस्तक महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर एक संसाधन पुस्तक के रूप में काम करती है। इसमें सामाजिक नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का व्यापक अध्ययन किया गया है।(2) पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारीः अर्थशास्त्र और राजनीतिक साप्ताहिक (म्ँ, 1995) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण शासन में महिलाओं की भागीदारी को वैधानिक रूप से सुनिश्चित किया, जिससे

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बढ़ा। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें निर्णय–निर्माण की प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर मिला। (3) गोयल, एम, (2013) के अध्ययन के अनुसार, पंचायती राज के तहत महिलाओं को आरक्षण देने से स्थानीय शासन में उनके नेतृत्व की स्थिति मजबूत हुई है। महिलाओं ने सामाजिक मुद्दों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्वच्छता पर अधिक ध्यान देना शुरू किया, जिससे ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं।(3)

महिला नेतृत्व और ग्रामीण विकास

भटनागर, एस, (2010) के अध्ययन में पाया गया कि महिला नेतृत्व वाली पंचायतों ने ग्रामीण विकास के कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से, महिलाओं के नेतृत्व वाली पंचायतों ने महिला स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और पेयजल व्यवस्था जैसे मुद्दों पर अधिक जोर दिया।(4) चटर्जी, पी, (2004) के अनुसार, महिला प्रधानों की पंचायतों में महिलाओं की आवाज अधिक मुखर हुई है, जिससे ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।(5)

महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की चुनौतियाँः

राय एस, (2007) का अध्ययन बताता है कि भले ही पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है लेकिन पितृसत्तात्मक समाज और पारंपरिक सोच अभी भी महिला नेतृत्व के समक्ष बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर महिलाओं को नाममात्र का नेतृत्व मिलता है, जबकि असली फैसले उनके परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं। (6) भारतीय सामाजिक अध्ययन संस्थान (2008) की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचायती राज में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कानूनी ढांचे के साथ–साथ सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की भी आवश्यकता है। जब तक समाज में महिलाओं को समान दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, तब तक उनकी वास्तविक सशक्तिकरण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी।(7)

सरकारी नीतियाँ और पहल

राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय (2015) की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। इनमें महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेतृत्व विकास योजनाएँ, और वित्तीय सहायता शामिल हैं, ताकि महिलाएँ पंचायत के कार्यों में अधिक सक्रियता से भाग ले सकें। (8) यूएनडीपी (2017) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी न केवल

भारतीय संविधान का हिस्सा है, बल्कि इसे सतत विकास लक्ष्यों के तहत वैश्विक मान्यता भी प्राप्त है। इससे महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक, और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। (9)

सशक्तिकरण के परिणामः

कुशवाहा, आर (2018) के अनुसार, पंचायती राज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के नए रास्ते खोले हैं। अब महिलाएँ अधिक आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। (10) त्रिपाठी, जे, (2019) का अध्ययन बताता है कि जिन पंचायतों में महिलाएँ नेतृत्व कर रही हैं, वहाँ विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसके साथ ही, महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव और हिंसा के मामलों में भी कमी आई है।(11)

राजनितिक क्रियाकलापों में भाग

पंचायती राज का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को स्थापित करना है। पंचायती राज ब्यवस्था में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देकर सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। जिससे महिलाये भी रजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने लगी है। महिलाओं में रजनीतिक जागृति के साथ सामजिक चेतना भी बढ़ी है। पंचायती राज ने छुआछूत और भेदभाव की दीवारों को जबरदस्त धक्का पहुचाया है। प्रस्तुत अध्ययन में इस विषय पर शोध किया गया है कि महिलाये राजनितिक क्रियाकलापों में भाग लेना चाहती है या नही। इस पर उत्तरदाताओ से सूचनाये संकलित की गयी है। जो सरणी संख्या 1.1 में दर्शाया गया है।

सारिणी 1.1

रजनीतिक क्रियाकलापों में भाग	उत्तरदाताओ की संख्या	प्रतिशत
हाँ	36	72
नहीं	14	28
योग	**50**	**100**

- **परिजनों द्वारा राजनीति में भागीदारी के लिए प्रेरित** :–

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं एक तिहाई आरक्षण दिया गया है, लेकिन साथ साथ यह भी जरुरी है की महिलाओं के परिजन भी उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करे जिससे वे सशक्त हो सके। प्रस्तुत अध्ययन में इस विषय पर शोध किया गया है कि उत्तरदाताओ को उनके परिजनों द्वारा राजनीति में भागीदारी लेने के लिए प्रेरित करते है या नही। इस पर सूचनाये संकलित की गयी है । जो सारणी संख्या 1.2 में प्रदर्शित है ।

सारिणी 1.2

राजनीति में भागीदारी के लिए प्रेरित	उत्तरदाताओ की संख्या	प्रतिशत
हाँ	30	60
नहीं	20	40
योग	**50**	**100**

• ग्राम पंचायत सदस्य :–

महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु राज्य सरकार ने अनेक प्रयास किये है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तिहाई महिलाये सदस्य होंगी। प्रस्तुत अध्ययन में इस विषय पर शोध किया गया है । कि उत्तरदाता ग्राम पंचायत का सदस्य है । इस पर सूचनाये संकलित की गयी है । सारणी संख्या 1.3 में प्रदर्शित है।

सारिणी 1.3

पंचायत के सदस्य	उत्तरदाताओ की संख्या	प्रतिशत
हाँ	09	18
नहीं	41	82
योग	**50**	**100**

• मीटिंगों में अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता :–

पंचायती राज व्यवस्था में मीटिंग होती रहती रहती है । जिसमे व्यक्ति अपना पक्ष रखते है। किसी निति या मुद्दे पर अपने विचार रखते है । प्रस्तुत अध्ययन में इस विषय पर सूचनाये

संकलित की गयी है उत्तरदाताओ से पूछा गया की उन्हें अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता है या नही। जो सारणी संख्या 1.4 में प्रदर्शित है।

सारिणी 1.4

पंचायत मीटिंग में अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता	उत्तरदाताओ की संख्य	प्रतिशत
हाँ	35	70
नहीं	15	30
योग	**50**	**100**

• पंचो द्वारा समानता का व्यवहार :–

हमारे समाज में पुरुषो व महिलाओं के बीच भारी असमानता है, महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, घर से लेकर कार्यस्थल तक उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, प्रस्तुत अध्ययन में इस विषय पर सूचनाये संकलित की गयी है की पंचो द्वारा महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है या नहीं, जो सारणी संख्या 1.5 में प्रदर्शित है ।

सारिणी 1.5

पंचो द्वारा समानता का व्यवहार	उत्तरदाताओ की संख्या	प्रतिशत
हाँ	25	50
नहीं	25	50
योग	**50**	**100**

• पंचायती राज व्यवस्था महिला के सशक्तिकरण में सहायक :–

पंचायती राज व्यवस्था महिला सशक्तिकरण में सहायक है क्योकि वर्तमान समय में सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायतो में 50 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया है ताकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सके और समाज में समानता के अधिकार से रह सके और जागरूक हो सके। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओ से इस विषय पर सूचनाये संकलित की है जो सारणी संख्या 1.6 में प्रदर्शित है।

सारिणी 1.6

महिला सशक्तिकरण में सहायक	उत्तरदाताओ की संख्या	प्रतिशत
हाँ	50	100
नहीं	–	–
योग	**50**	**100**

• यदि सहायक है तो कैसे :–

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को दिया गया 1 तिहाई आरक्षण एक साहसिक कदम है, ग्रामीण विकास को त्वरित करने एवम अधिक प्रभावी बनाने में आधा योगदान महिलाओं का होना आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओ से इस विषय पर सूचनाये संकलित की गयी है जो सारणी संख्या 1.7 में प्रदर्शित है।

सारिणी 1.7

हाँ तो कैसे	उत्तरदाताओ की संख्या	प्रतिशत
स्व प्रतिनिधित्व से	10	20
सरकारी निर्देशों से	20	40
दोनों से	20	40
योग	**50**	**100**

• उत्तरदाताओ द्वारा पंचायती राज ब्यवस्था में सुधार हेतु उपाय :–

पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को रजनीतिक अधिकार, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं के चलते अब महिलाओं में चेतना आ रही हैं और वह दिन दूर नहीं जब वे वर्तमान स्थिति से ऊपर उठकर, घर, परिवार राष्ट्र स्तर पर अहम भूमिका निर्वहन करेगी। आज हमारे देश की प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति एक जनजातीय समाज की महिला द्रोपदी मुर्मू है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओ ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव दिए है। इस पर सूचनाये संकलित की गयी है जो सारणी संख्या 1.8 में प्रदर्शित है।

सारिणी 1.8

सुझाव	उत्तरदाताओ की संख्या	प्रतिशत
महिलाओं का और अधिक प्रतिनिधित्व	09	18
अधिक अधिकार	10	20
आर्थिक स्वावलम्बी	08	16
उपरोक्त सभी	23	46
योग	**50**	**100**

निष्कर्ष

यह शोध पत्र महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका पर केंद्रित है, जिसमें यह विश्लेषण किया गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में पंचायती राज संस्थाओं ने किस प्रकार की भूमिका निभाई है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं के लिए 33:आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसने महिलाओं को स्थानीय शासन और विकास में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि पंचायती राज के माध्यम से महिलाएं किस प्रकार निर्णय–निर्माण की प्रक्रियाओं में भागीदारी करती हैं और उनके नेतृत्व में किस प्रकार के सामाजिक और आर्थिक बदलाव आते हैं। पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी ने उन्हें नेतृत्व की नई जिम्मेदारियों से सशक्त किया है, जिससे वे न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं, बल्कि सामुदायिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसके साथ ही, सामाजिक बाधाओं, पितृसत्तात्मक मानसिकता, और अशिक्षा जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। हालाँकि, महिलाओं का आत्मविश्वास और उनके द्वारा उठाए गए सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने से समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं।

पौड़ी गढ़वाल जिले की महिलाएँ पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अपने सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। यद्यपि सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं, फिर भी पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से यह स्पष्ट होता है कि वे न केवल अपने परिवारों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। महिला सशक्तिकरण का यह सफर तभी पूरी तरह से सफल होगा, जब समाज में महिलाओं को समान अवसर और सम्मान मिलेगा, और इसके लिए पंचायती राज एक सशक्त मंच के रूप में कार्य कर रहा है।

सन्दर्भ सूची

Sen, Amarty "Development as Freedom"] Oxford University Press, 2000.

Walter, S., "Women Empowerment: A Resource Book", National Book Trust, 2015.

Economic and Political Weekly (EPW), Sameeksha Trust, 1995.

Goyal, M., Panchayati Raj and Women's Reservation", Deep and Deep Publications, 2013.

Bhatnagar, S., Women and Panchayati Raj", A.P.H. Publishing Corporation, 2006.

Chatterjee, P., Women and Panchayati Raj: A Study of Rural Development", Deep & Deep Publications, 2003.

Roy, S., "Panchayats and Women Empowerment", Kanishka Publishers, 2005.

Indian Institute of Social Studies) "Report on Women and Panchayati Raj", Indian Institute of Social Studies (IISS), 2008.

Ministry of Panchayati Raj, "Status of Panchayati Raj in the States and Union Territories of India", Ministry of Panchayati Raj, Government of India, 2015.

Kushwaha, R., "Panchayati Raj and Women Empowerment", Mittal Publications, 2004.

Tripathi, J., "Panchayats and Women: A Study of Rural Empowerment", Kalpaz Publication, 2019.

https://pauri.nic.in/hi/